भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **2975**

दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 / 14 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सी प्लेन सेवा

2975. **श्री दीपक अधिकारी (देव):**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सी प्लेन सेवा प्रारंभ करने का है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इसे कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग): क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस) – उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के अंतर्गत अवार्ड किए गए दस (10) वॉटर ऐरोड्रोम को जोड़ने वाले मार्गों का विवरण निम्नानुसार है:

i) नागार्जुन सागर, तेलंगाना
ii) उमरंगसो जलाशय, असम
iii) खारघुली क्षेत्र, गुवाहाटी, असम
iv) स्टैच्यु ऑफ यूनिटी (सरदार सरोवर बांध), गुजरात
v) साबरमती रिवर फ्रंट, गुजरात
vi) शत्रुंजय बांध, गुजरात
vii) प्रकाशम बैरेज जलाशय, आंध्र प्रदेश
viii) स्वराज द्वीप (हैवलॉक आइलैंड), अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
ix) शहीद द्वीप (नील द्वीपसमूह), अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
x) लॉन्ग आइलैंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

वॉटर ऐरोड्रोम की लाइसेंसिंग के लिए प्रक्रियाएँ एवं अपेक्षाएँ, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी नागर विमानन अपेक्षा, खंड 4, श्रृंखला 'एफ', भाग IV में निर्धारित की गई हैं।

चयनित एयरलाइन प्रचालक (एसएओ), लेटर ऑफ अवार्ड जारी करने के 180 दिन की अवधि के भीतर अथवा हवाईअड्डा/ हेलीपोर्ट/ वॉटर ऐरोड्रोम, तैयार होने के दो माह के भीतर, जो भी बाद में हो, आरसीएस-मार्ग पर आरसीएस उड़ानों का प्रचालन आरंभ करने के लिए बाध्य हैं, जब तक कि कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अतिरिक्त समय न दिया जाए। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) द्वारा गठित एक बहु-अनुशासनात्मक दल ने पूर्व-व्यावहार्यता अध्ययन किया है और उसे संबद्ध राज्य सरकारों/ संघशासित क्षेत्रों को अग्रेषित किया है। भाविप्रा ने देशभर में 10 वॉटर ऐरोड्रोम के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और अन्य टेंडर से पहले की गतिविधियों के लिए एक परामर्शदाता को नियुक्त किया है।

*****